

उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज।

आर0एम0ए0 वाद संख्या-11/2020-21

संतोष कुमार गुप्ता वगै0
-बनाम-

वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज

-: आदेश :-

दिनांक 05.10.2021 को पारित आदेश के अनुपालन में विपक्षीगण अपने दो प्रतिभूति एवं बंध-पत्र के साथ उपस्थित।

(1) विपक्षी संतोष कुमार गुप्ता, पे0-रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, सा0-किरतनिया, थाना-पीरपैती, जिला-भागलपुर (बिहार) ट्रक संख्या JH18F-9518 की ओर से दो प्रतिभूति एवं बंध-पत्र दाता (i) राजेश कुमार ठाकुर, पे0-गनोरी ठाकुर, सा0-दौलतपुर, मथुरापुर, थाना-ईशीपुर, जिला-भागलपुर (बिहार), ट्रक संख्या BR10Gb-5737, का ऑनर बुक, बीमा प्रमाण पत्र, (ii). विक्रान्त कुमार गुप्ता, पे0-सुदामा गुप्ता, सा0-दामा जिलवा, थाना-गोड्डा, जिला-गोड्डा (झारखण्ड), ट्रक संख्या JH18E-2470 का ऑनर बुक एवं बीमा प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

(2) विपक्षी मो0 समशाद अंसारी, पे0-मुश्तफा अंसारी, सा0-रानीपुर, थाना-पथरगामा, जिला-गोड्डा, ट्रक संख्या JH17R-3864 की ओर से दो प्रतिभूति एवं बंध-पत्र दाता (i) अंसार आलम, हाशीम राही, सा0-रौशनबाग, असनबनी, थाना-गोड्डा, जिला-गोड्डा, ट्रक संख्या JH04R-9312, का ऑनर बुक, बीमा प्रमाण पत्र, (ii) शाहबाज अंसारी, पे0-नूर मोहम्मद अंसारी, सा0-बरमसिया, थाना-ईशीपुर, जिला-भागलपुर (बिहार), ट्रक संख्या JH18H-8051 का ऑनर बुक एवं बीमा प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

(3) विपक्षी विशाल कुमार साह उर्फ किशोर कुमार, पे0-सिकन्दर साह, सा0-मिर्जाचौकी, थाना-मिर्जाचौकी, जिला-साहेबगंज ट्रक संख्या JH18H-0392 की ओर से दो प्रतिभूति एवं बंध-पत्र दाता (i) सन्नी कुमार जैसवाल, पे0-शम्भू नाथ जैसवाल, सा0-मिर्जाचौकी, थाना-मिर्जाचौकी, जिला-साहेबगंज, ट्रक संख्या JH18E-4949, का ऑनर बुक, बीमा प्रमाण पत्र, (ii) अर्जुन कुमार महतो, पे0-श्री रामेश्वर महतो, सा0-प्रोग्रेसिव सेन्ट्रल के नजदीक, वार्ड नं0-7, थाना-हसनपुर, जिला-समस्तीपुर (बिहार), ट्रक संख्या BR10GB-0537 का ऑनर बुक एवं बीमा प्रमाण पत्र की छाया प्रति।

मिर्जाचौकी थाना कांड संख्या 15/2019, दिनांक 03.03.2019 को प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा अधिहरण वाद सं0 05/2019 में विपक्षीगण के जप्त ट्रक संख्या (1). JH18F-9518, (2). JH17R-3864 एवं (3). JH18H-0392 को अस्थायी रूप से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाता है कि वे न्यायालय द्वारा आदेश किये जाने पर उक्त ट्रक को न्यायालय के समक्ष उपलब्ध करायेंगे। प्रतिभूति बंध-पत्र दाता के जिम्मेनामा पर जप्त ट्रकों को मिर्जाचौकी थाना कांड संख्या 15/2019, दिनांक 03.03.2019 को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-26(1)(ए) के एवं The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 का 11(V) के अन्तर्गत जप्त ट्रक को जप्ती से अस्थायी रूप से मुक्त किया जाता है। यदि न्यायालय के आदेश के पश्चात विपक्षीगण द्वारा गाड़ी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कराया जाता है, तो गाड़ी के लिए दिये गये बंध-पत्र प्रतिभूति गाड़ी दाता को न्यायालय में आदेशानुसार जमा करना अनिवार्य होगा।

आदेश की कर्मांक
एवं तिथि

1

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

2

आदेश की प्रति थाना प्रभारी, मिर्जाचौकी एवं प्राधिकृत पदाधिकारी-सह वन प्रमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज को अनुपालन हेतु भेजें। साथ ही उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे उचित पहचान एवं ऑनर बुक ट्रक संख्या (1). JH18F-9518, (2). JH17R-3864 एवं (3). JH18H-0392 को उचित प्राप्ति रसीद पर हस्ताक्षर कराकर एवं पहचान पर हस्ताक्षर करवावें। साथ ही हस्तगत संबंधी प्रतिवेदन न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अभिलेख दिनांक
लेखापित एवं संशोधित।


उपायुक्त,
साहेबगंज।


उपायुक्त,
साहेबगंज।